| | |
|---|---|
| हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज Gcms-2018/00261<br>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना<br>उनवानी मनोहरलाल बनाम हणमान आदि मु.सं. 128/2018 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |

3-05-2025 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की प्रकरण में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष वादपत्र डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात, पेशशुदा शपथ–पत्रों एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी के चाचा हरनाथ पुत्र किशना की गलत जाति ''गुर्जर'' दर्ज हैं जबकि वादी के चाचा हरनाथ पुत्र किशना जाति ''गुर्जर'' की जगह ''ब्राह्मण'' सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात तथा तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट राजस्व ग्राम हरजनपुरा प0ह0 बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना में स्थित भूमि पुराने ख0नं0 130/3 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा (नवीन ख0नं0 197, 198) के रूप में रही हैं। जिसका नियमन हरनाथ पुत्र किशना जाति ब्राह्मण के हक में नियमन कर दी गई जबकि नियमन की एवज में जो नामान्तरकरण भरा गया उसमें हरनाथ पु0 किशना जाति गुर्जर के नाम का नामान्तरकरण खुला। हरनाथ पुत्र किशना जाति ब्राह्मण अविवाहित था जो ग्रामीणों की पूछताछ के अनुसार सही होना पाया गया। मजमें आम जांच एवं प्रमाण पत्र सरपंच ग्रा0पं0 हरजनपुरा से हरनाथ पुत्र किशना जाति गुर्जर तथा हणमान पुत्र किशना जाति गुर्जर नाम का कोई व्यक्ति राजस्व ग्राम हरजनपुरा में नही पाया होना बताया जबकि हरनाथ पु0 किशना नाम का व्यक्ति ढाणी खातियान में था जिसकी मृत्यु हो चुकी है एवं उसकी जाति ब्राह्मण होना बताया हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि:–

## आदेश

तन ग्राम हरजनपुरा प0ह0 बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी पुराने ख0नं0 130/3 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा जिसके नवीन ख0नं0 197, 198 कुल किता 02 कुल रकबा 0.77 है0 में वादी के चाचा हरनाथ पुत्र किशना की गलत दर्ज जाति ''गुर्जर'' की जगह वास्तविक एवं सही जाति ''ब्राह्मण'' दुरूस्त किया जाने की घोषणा की जाती हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री मूर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.06.19 10:43:27 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना **(सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. मनोहरलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी खातियान तन हरजनपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. हणमान पुत्र किशना वगैरह

–प्रतिवादीगण

**दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती**

मुकदमा नं. 128 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री सूरजभान पूनियां एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू ............ मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तन ग्राम हरजनपुरा प0ह0 बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी पुराने ख0नं0 130/3 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा जिसके नवीन ख0नं0 197, 198 कुल किता 02 कुल रकबा 0.77 है0 में वादी के चाचा हरनाथ पुत्र किशना की गलत दर्ज जाति "गुर्जर" की जगह वास्तविक एवं सही जाति "ब्राह्मण" दुरूस्त किया जाने की घोषणा की जाती हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज....................मुबलिग.......................................................बाबत............................................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .......का अदा करें।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 28 माह 05 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत............
ओहदा..............

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय | | |
| बाबत इजराय | | | हुक्मनामा | | |
| हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | मीजान | | |
| मीजान | | | | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.06.19 10:43:27 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।